



प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 18.12.2024

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा  
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,  
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 18.12.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 18.12.2024

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



**मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र में भ्रमण कर बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में किया गया जागरूक-**

शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबी, सशक्त बनाने और सुरक्षित माहौल प्रदान करने तथा उनके अधिकारों के सम्बंध में उनको जागरूक करने व उनके साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम तथा उनमें सुरक्षा/आत्मविश्वास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से समग्र अभियान "मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान" चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 18.12.2024 को नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की शक्ति दीदी/महिला बीट आरक्षियों/एण्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत स्कूल/कालेज/बीट/गांव आदि में जाकर मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत जागरूकता कार्यशाला एवं चौपाल लगाकर बालिकाओं एवं महिलाओं की शिकायतों एवं समस्याओं की सुनवाई की गयी तथा "मिशन शक्ति फेज-05" के सम्बन्ध में सभी बालिकाओं/महिलाओं को जागरूक किया गया, उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन्हें मनचलों, अराजक तत्वों से निपटने तथा आत्मरक्षा करने के लिए आवश्यक आत्मरक्षात्मक गुण सिखाये गये इसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस एव शासन द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे- 1090-वुमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण से संबंधित उ0प्र0 शासन की विभिन्न योजनाओं व प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित कर जागरूक किया गया।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 18.12.2024

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## थाना महोबकंठ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब के साथ

### 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 17.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री गणेश कुमार द्वारा संयुक्त पुलिस टीम गठित की गई।

उ0नि0 सुबाषचन्द्र तिवारी के नेतृत्व में गठित प्रथम पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त श्रीमती अनीता कबूतरा पत्नी मोहन कबूतरा उम्र करीब 45 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद प्लास्टिक पिपिया में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद करते हुए ग्राम सौरा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 सतीश कुमार शुक्ल के नेतृत्व में गठित हुई द्वितीय पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त भानप्रताप अहिरवार पुत्र भगवानदास उम्र 39 वर्ष निवासी राजपूत कालोनी हरपालपुर थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर (म0प्र0) जिसके कब्जे से 01 बोरी में 18 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुए ग्राम महोबकंठ के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

उक्त अवैध शराब की बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 222/2024 व मु0अ0सं0-223/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई

## गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

### प्रथम पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुबाषचन्द्र तिवारी प्रभारी चौकी सौरा
2. हे0कां0 राजेश कुमार
3. म0कां0 ऋचा वर्मा

### द्वितीय पुलिस टीम -

1. उ0नि0 सतीश कुमार शुक्ल
2. हे0कां0 विकासचन्द्र मिश्रा





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 18.12.2024

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



**जनपद महोबा के थाना खन्ना में तैनात 2019 बैच की महिला आरक्षी स्व0 निशी अग्निहोत्री की डम्पर/ट्रक से एक्सीडेंट होने पर उनकी आसमायिक दुःखद निधन पर महोबा पुलिस परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि।**

दिनांक-17.09.2024 को जनपद महोबा के थाना खन्ना में नियुक्त 2019 बैच की महिला आरक्षी निशी अग्निहोत्री निवासी मोहल्ला गांधीनगर थाना तिर्वा जनपद कानपुर नगर पीएनओ0-192340162 जो अपने निजी वाहन से जा रही थी कि थाना खन्ना क्षेत्रअन्तर्गत डम्पर/ट्रक से एक्सीडेंट होने पर दौराने उपचार हमीरपुर में महिला आरक्षी की आसमायिक दुःखद निधन हो जाने पर आज दिनांक- 18.12.2024 को जनपद हमीरपुर के रिजर्व पुलिस लाइन में महिला आरक्षी के पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गयी व मौन धारण कर सलामी देकर शोक संवेदना व्यक्त की गयी एवं पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान सहित सशस्त्र गार्ड के साथ उनके गृह जनपद कानपुर नगर भेजा गया। उक्त महिला आरक्षी की असमय मृत्यु से समस्त महोबा पुलिस परिवार गमगीन है, दिवंगत महिला आरक्षी के परिजनों/प्रियजनों के संबल हेतु हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल द्वारा दिंगत आरक्षी के परिजनों से वार्ता कर शोक संवेदना व्यक्ति की गई है एवं परिजनों को पुलिस परिवार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर दीपक दुबे, सहित जनपद महोबा एवं हमीरपुर पुलिस परिवार के अधि./कर्म. सहित दिवंगत महिला आरक्षी के परिजन/प्रियजन मौजूद रहे।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 18.12.2024

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने

01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वाछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 18.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गई 30नि0 विवेक यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त दिनेश जोशी पुत्र लक्ष्मन जोशी उम्र करीब 32 वर्ष नि0 काशीराम कॉलोनी पुलिस लाइन के पास थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा सम्बन्धित मु0अ0स0 482/2019 धारा 457/380/411भादवि, CP NO 629/19 में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

दिनेश जोशी पुत्र लक्ष्मन जोशी उम्र करीब 32 वर्ष नि0 काशीराम कालौनी पुलिस लाइन के पास थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. 30नि0 विवेक यादव चौकी प्रभारी मनियादेव
2. का0 धर्मेन्द्र कुमार





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 18.12.2024

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने अवैध

### शस्त्र/कारतूस के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्र के निष्कर्षण पर प्रभावी रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान घटनास्थल रामकुंड के पास बन्धानवार्ड जाने वाले तिराहे के पास संदिग्ध व्यक्ति/अभियुक्त विकास सिंह परिहार पुत्र विनोद सिंह परिहार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मु0 शेखनपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा को हिरासत में लिया जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज की बरामदगी की गयी है। बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0- 665/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त व बरामदगी विवरण-

विकास सिंह परिहार पुत्र विनोद सिंह परिहार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मु0 शेखनपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा चौकी इन्चार्ज सुभाष थाना कोतवाली नगर महोबा
2. का0 उपेन्द्र प्रताप सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा

